



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032026-270984  
CG-DL-E-16032026-270984

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1286]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 1286]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

**का.आ. 1345(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6069(अ) तारीख 29 दिसम्बर 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या-752जी के कि.मी. 21/427 से कि.मी. 64/000 (पिंपळनेर से सटाणा रोड सेक्शन-2) तक के भूखण्ड के निर्माण, (दो लेन/चार लेन/चौडाकरण/टोल प्लाजा आदी) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23 जनवरी 2026" को "महाराष्ट्र टाईम्स (मराठी)" और "लोकमत टाईम्स (इंग्रजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या-752जी के कि.मी. 21/427 से कि.मी. 64/000 (पिंपळनेर से सटाणा रोड सेक्शन-2)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भुमी का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बागलाण					
गांव का नाम: ताहाराबाद					
1	३१६	सरकारी	शुष्क	0.19	गावठाणकडे. चे.म.वि.प्र. नाशिक गाववर्दळ दवाखानाकडे वन परिक्षेत्र अधिकारी पब्लिक हेल्प डि.कडे ता.,
<b>Total</b>				<b>0.19</b>	

[फा. सं. NH-12014/49/2015-MAH(P-6)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2026

**S.O. 1345(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway No.S.O.6069(E) Dated 29<sup>th</sup> December 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of **National Highway-752G** on the stretch of land from **Km 21/427 to Km 64/000 Pimpalner to Satana Road (Section-2)** in the district of **NASHIK** in the state of **MAHARASHTRA**.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Maharashtra Times (Marathi)**” and “**Lokmat Times (English)**” both dated **23 January 2026** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the **Competent Authority Deputy Collector, (Land Acquisition) National Highway Project, Nashik** and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling National Highway - 752G in the stretch of land from Km 21/427 to 64/000 (Pimpalner to Satana Road Section-2) in the district of NASHIK in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: Nashik		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Baglan</b>					
<b>Village: Taharabad</b>					
1	316	Government	Dry	0.19	Gavthan Che.M.V.P. Nashik To village ward hospital To forest range officer To public help D.T.,
<b>Total</b>				<b>0.19</b>	

[F. No. NH-12014/49/2015-MAH(P-6)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director